न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण सं०–476/2019

सरकार बनाम राधेश्याम व अन्य।

आरोप

मैं, अभिमन्यु सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान पडरौना, आप अभियुक्तगण राधेश्याम, ध्यान, राजन, मंजेश चौबे, अशोक व रामानन्द को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 04.07.2019, समय 09.15 बजे रात, वहद ग्राम–गुरवलिया, थाना–तुर्कपट्टी, जनपद–कुशीनगर में आप लोगों ने वादी मुकदमा जटा यादव के पुत्र 'X' के साथ अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक राय व एक गोल होकर नाजायज मजमा कायम कर बल्वा किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा–147 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आप लोगों वादी मुकदमा उक्त के पुत्र उक्त को मार–पीटकर साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा–323 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा उक्त के पुत्र उक्त को भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिसके प्रकोपन में लोक शान्ति भंग हुई। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा–504 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा उक्त के पुत्र उक्त को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा–506 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उदेश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा उक्त के पुत्र उक्त को लोहे की राड व हॉकी से मारा-पीटा, जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गयी तथा दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा–304 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका उक्त मामले में विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक **27.01.2020**

(**अभिमन्यु सिंह**)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांक **27.01.2020**

(**अभिमन्यु सिंह**)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण सं०–476/2019

सरकार बनाम राधेश्याम व अन्य।

27.01.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण राधेश्याम, ध्यान, राजन, मंजेश चौबे, अशोक व रामानन्द जरिये हिरासत उपस्थित। आरोप विरचित किये जाने के बिंदु पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्व भा०द०सं० की धारा–147,323,504,506,304 का अपराध नहीं बनता है।

इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुये कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा तमामी विवेचना एकत्र साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप विरिचत किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना तमामी साक्ष्यों का साक्ष्य संकलित करते हुये आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। न्यायालय की राय में अभियुक्तगण राधेश्याम, ध्यान, राजन, मंजेश चौबे, अशोक व रामानन्द के विरूद्व भा०द०सं० की धारा–147, 323,504,506,304 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु लंच बाद पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण राधेश्याम, ध्यान, राजन, मंजेश चौबे, अशोक व रामानन्द जरिये हिरासत उपस्थित। अभियुक्तगण के विरूद्व भा०द०सं० की धारा–147,323,504,506,304 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 14.02.2020 को पेश हो। साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों ।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।